

क्रमांक: ग्रा0स्वा0/स्वाइन फ्लू/09/303


दिनांक: 05-11-2009

✓समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान।

विषय:- इन्फ्लूएन्जा ए एच1एन1 के संदिग्ध मरीजों के उपचार बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 05-11-2009 में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर इन्फ्लूएन्जा ए एच1एन1 के संदिग्ध मरीजों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।


अतः आपके अधीनस्थ समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को निर्देशित करें कि इन्फ्लूएन्जा ए एच1एन1 के लक्षणों वाले संदिग्ध मरीजों का उपचार फ़िजिशियन/चिकित्सक रोगी की स्थिति को देखते हुये तुरन्त प्रारम्भ करें जिससे कि रोगी इस रोग की गम्भीर अवस्था में जाने से बच सकें तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें टेमीफ्लू दवा दी जावे। इस हेतु टेबलेट टेमीफ्लू का पर्याप्त स्टॉक आपको उपलब्ध करवा दिया गया है, फिर भी यदि आवश्यकता हो तो टेमीफ्लू दवा की आवश्यकता अनुसार निदेशालय से मांग की जा सकती है।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

5/11/09

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाईमान सिंह मेडिकल कालेज, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।